कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई–मेल – actwd.balod@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति::-

क्र/896/आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2021 बालोद दिनांक 02-11-2021

वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन हेतु विज्ञप्ति

बालोद जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कालेज जिनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2021–22 में भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in** वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है'–

क्र	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु(नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 01.11.2021 से 30.11.2021 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2021 से 10.12.2021 तक
3	Senction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2021 से 20.12.2021 तक
4	KYC जमा करने हेतु	दिनांक 22.12.2021 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2021–22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Praposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
/आदिवासी विकास बालोद

\\Balod-76097479f\d\T.S.DHESMUKH\Word Memo Files\Memo Schoorship.doc